(3)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क्र0 ....I / निगरानी / टीकमगढ़ / भू-राजस्व / 2017 / 3542

उदेते पुत्र खुदई
आशाराम पुत्र उदेते
दोनों निवासी ग्राम मगरई
तह. पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
—— निगरानीकर्तागण

बनाम

धनीराम पुत्र हल्के लोधी
निवासी ग्राम मगरई
तह. पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
— प्रतिनिगरानीकर्तागण

प्रार्थना पत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2012 द्वारा पारित न्यायालय श्रीमान् तेहसीलदार, तेहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 35 / अ-12 / 2011-12

श्रीमान्

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा धारा 129 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत विहित नियम एवं प्रक्रिया के उल्लंघन में पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, ग्राम मगरई, तेहसील पलेरा के सर्वे क्रमांक 1366 / 5 एवं 1365 / 7 / 2 के सीमांकन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण तथा सरहदी कृषकों की उपस्थिति कराये बिना विवादित भूमि से लगे सर्वे क्रमांकों का तथा 1365 एवं 1366 का भी विधिवत् तथा स्थाई सीमा चिन्हों से सीमांकन न कराये जाने के कारण सीमांकन कार्यवाही अवैधानिक एवं अनुचित है ।

क्रमशः.........................2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू0रा0/2017/3542

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
03.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भदौरिया उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह निगरानी दिनांक 22.06.2012 के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.09.2017 को प्रस्तुत की गई है। जो प्रथम दृष्टया अवधि वाहय है। आलोच्य आदेश के साथ पंचनामा की प्रति संलग्न है, जिसमें सरहदी काश्तकारों के उपस्थित होने एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में आवेदक का यह कहना कि सीमांकन की कार्यवाही त्रुटि पूर्ण है, प्रथम दृष्टया मान्य किये जाने योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	